भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3739
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली

3739. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1 जनवरी, 2024 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में शुरू की गई आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) का आकलन किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि मनरेगा मजदूरी भुगतान में एबीपीएस की शुरुआत के बाद जॉब कार्ड के ब्यौरे और उनके आधार कार्ड के विवरण में अंतर के कारण कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा श्रमिकों की चिंताओं के समाधान के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत लाभार्थियों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या में बार-बार होने वाले बदलाव और उसके बाद उसे अद्यतन न किए जाने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है।

एपीबीएस से इस योजना के तहत मजदूरी वितरण की पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और लाभार्थियों के खाते में मजदूरी का तेजी से जमा होना भी सुनिश्चित होता है। आधार प्रमाणीकरण से लीकेज और भ्रष्टाचार भी कम होता है और यह सुनिश्चित होता है कि केवल सत्यापित पहचान वाले वैध लाभार्थियों को ही मजदूरी मिले। एपीबीएस के माध्यम से भुगतान नहीं होने पर खाता-आधारित भुगतान यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से भुगतान करने का एक वैकल्पिक तरीका उपलब्ध है। वर्तमान में, कुल 12.12 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 99.65% श्रमिकों का आधार सीडिंग कार्य पूरा हो चुका है। नरेगा सॉफ्ट में 100% आधार सीडिंग और

एपीबीएस रूपांतरण प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की निरंतर निगरानी की जा रही है। जब भी कोई मुद्दा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य हितधारक द्वारा चिह्नित किया जाता है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत निगरानी और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय मध्यावधि समीक्षा, सामान्य समीक्षा मिशन, श्रम बजट बैठकों, राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बैठकों और क्षेत्रीय दौरों जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से एपीबीएस के कार्यान्वयन सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करता है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यकता और अपेक्षाओं के आधार पर समीक्षा और सुधार किए जाते हैं।